

राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड

कमरा नं. 05, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक: प.7( )वाहन/स्टोर/रा.स्टे.ए.इ.ड.बो./2022-23/706-717

दिनांक: 11/05/2022

सूचना

वित्त विभाग के परिपत्र सं. F.2 (4)FD/SPFC/201/ जयपुर, दिनांक 19.07.2018 एवं वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102202501 दिनांक 04.05.2022 की शर्तों के अध्याधीन राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड कार्यालय जयपुर को एक वाहन (टैक्सी नंबर) किराये पर (2500 किलोमीटर प्रतिमाह की सीमा तक) लेने की आवश्यकता है। इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान है।

उक्त परिपत्रों की शर्तों के अधीन वाहन किराये पर देने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म /ट्रैवल एजेंसी सादे कागज पर अपना आवेदन मय आवश्यक दरतावेज यथा वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, टैक्सी परमिट, वाहन का इंश्योरेंस प्रमाण-पत्र, वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन मालिक का पहचान पत्र एवं मालिक का पता इत्यादि दिनांक 23.05.2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में इस कार्यालय में व्यक्तिशः/डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। टैक्सी वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में इस कार्यालय द्वारा गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा।



(चन्द्रभान सिंह)

संयुक्त सचिव,

RSAIDB

क्रमांक: प.7( )वाहन/स्टोर/रा.स्टे.ए.इ.ड.बो./2022-23/706-717  
प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

दिनांक: 16/05/2022

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीया उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान् आयुक्त कृषि एवं पदेन सदस्य सचिव, राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सहायक, संयुक्त सचिव, राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड, जयपुर।
5. कोष अधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.), कृषि आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कृषि आयुक्तालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।
7. सूचना पट्ट, कृषि आयुक्तालय/ राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड, जयपुर।
8. लेखा/भण्डार शाखा, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।



(चन्द्रभान सिंह)

संयुक्त सचिव